

मत्स्य निदेशालय
आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, बिहार, पटना

पत्र संख्या- म0/ गो0शि0अरा0 - 01/2017 6/6

मत्स्य/पटना दिनांक 13/4/18

आदेश

श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा सरकारी राशि के गबन के आरोपों के प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के कारण तात्कालिक प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलम्बित किया जाता है।

2. निलम्बन की अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय बक्सर होगा।
3. निलम्बन अवधि में श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के तहत सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।
4. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।
5. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक 6/6

मत्स्य/पटना दिनांक 13/4/18

प्रतिलिपि: श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 6/6

मत्स्य/पटना दिनांक 13/4/18

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद/बक्सर/उप मत्स्य निदेशक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 6/6

मत्स्य/पटना दिनांक 13/4/18

प्रतिलिपि: संयुक्त मत्स्य निदेशक, सभी/ उपमत्स्य निदेशक, सभी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सभी/ निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 6/6

मत्स्य/पटना दिनांक 13/4/18

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

13/04/18